<u>सूचना</u>

प्रिय प्रशिक्षण प्रदातागण,

कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन, संबद्धता और निरंतर निगरानी के लिए दिशानिर्देश, जो कि **स्मार्ट (कौशल प्रबंधन एवं प्रशिक्षण केंद्रों का प्रत्यायन)** पोर्टल द्वारा प्रबंधित हैं देश के भीतर किए जा रहे सभी कौशल गतिविधियों के लिए एक छत्र ढांचा प्रदान करने का लक्ष्य रखते हैं जिसके फलस्वरूप विभिन्न योजनाओं की अवधारणा, स्थापना और चलन में गुणवत्ता के मानदंड प्रदान किये जा रहे हैं|

यह भी ध्यान देने योग्य है कि टीसी के प्रत्यायन और संबद्धता, पीएमकेवीवाई समेत किसी भी सरकार द्वारा निधिबद्ध कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्य आवंटन की गारंटी नहीं देता है| प्रत्येक योजना के पास अपनी लक्ष्य आवंटन प्रक्रिया हो सकती है, जिसके अनुसार एक टीसी को लक्ष्य आवंटित किये जा सकते हैं| उदाहरण के लिए, पीएमकेवीवाई के तहत, टीसी के भौगोलिक स्थान के अनुसार, लक्ष्य आवंटन ग्रेड और नौकरी की भूमिकाओं पर आधारित होता है|

इस तथ्य को अध्याय 1 के अनुच्छेद 9 (डी) और अनुच्छेद 9.2 (सी) के संदर्भ में कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रत्यायन, संबद्धता और प्रशिक्षण केंद्रों की निरंतर निगरानी के लिए दिशानिर्देशों के माध्यम से अवगत कराया गया है। इसके अलावा, इसका उल्लेख स्मार्ट वेबसाइट के निम्न पृष्ठ पर किया गया है: https://smart.nsdcindia.org/before_you_begin.aspx

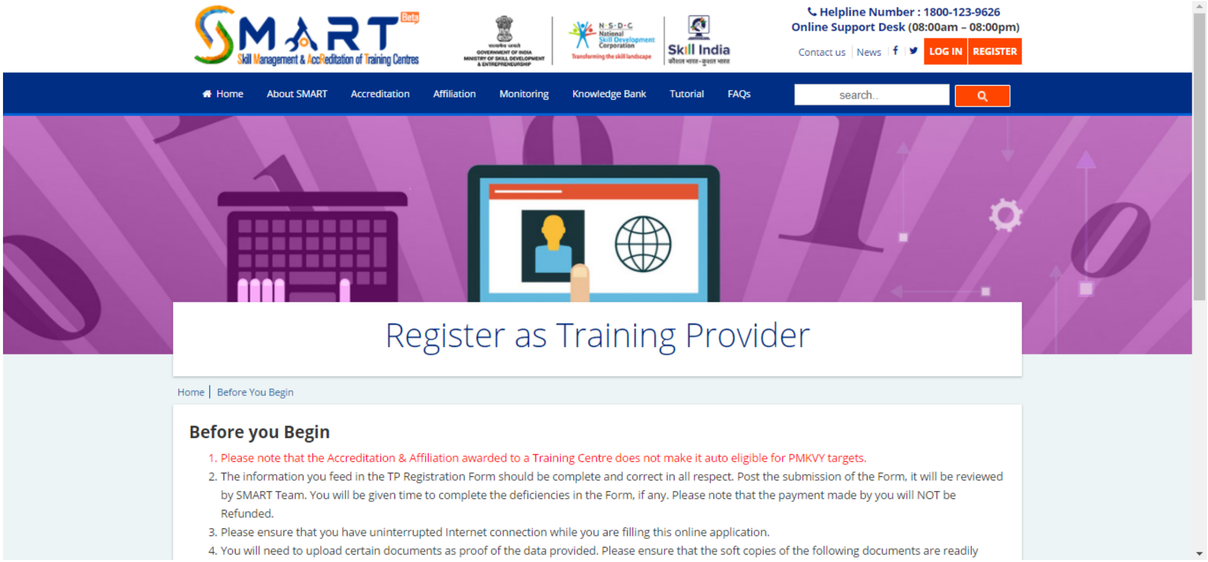

इसके अलावा, जैसे-जैसे यूजर स्मार्ट की आवेदन प्रक्रिया में आगे बढ़ता है, एक और पॉप-अप संदेश प्रकट होता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, संबंधित क्षेत्र कौशल परिषदों (एसएससी) के साथ प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता और संबद्धता को पीएमकेवीवाई समेत किसी भी कौशल विकास योजना के तहत लक्ष्य के आवंटन के बराबर नहीं माना जाना चाहिए| हालांकि, ऐसे लक्ष्य आवंटनों के लिए संबद्धता को पूर्व-आवश्यकता के रूप में माना जाता है|

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई (2016-2020) के तहत लक्ष्यों का आवंटन विभिन्न दिशानिर्देशों और शर्तों (जिनका समय-समय पर संबंधित प्राधिकरणों द्वारा नवीनीकरण किया जा सकता है) के अधीन है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

i. कौशल पारिस्थितिकी तंत्र के लिए प्रशिक्षण केंद्रों के प्रत्यायन, संबद्धता और निरंतर निगरानी के लिए दिशानिर्देश
ii. पीएमकेवीवाई के दिशानिर्देश (2016-2020)
iii. एक प्रशिक्षण केंद्र के स्वामित्व की स्थिति और भौगोलिक स्थान
iv. ऐसे क्षेत्र जहां पर एक प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इच्छुक है

अनुबंध 1 में बताए गए क्षेत्र और भौगोलिक कार्यक्षेत्र व्याप्ति सुनिश्चित करने के लिए: पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों (2016-2020) की लक्ष्य आवंटन कार्यप्रणाली, एक विश्लेषण आयोजित किया गया है और यह पाया गया है कि प्रदत्त कौशल प्रशिक्षण कुछ राज्यों, जिलों, क्षेत्रों या नौकरी की भूमिकाओं पर केंद्रित है। लक्ष्य आवंटन के मामले में शीर्ष के 3 राज्य कुल लक्ष्य आवंटन का लगभग 37% है और लक्ष्य आवंटन के मामले में शीर्ष के 5 क्षेत्र कुल लक्ष्य आवंटन का लगभग 48% है। बड़े सार्वजनिक हित में, यह महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण केंद्र पूरे देश भर में फैले हुए हों ताकि प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न हो पाए। इसके अतिरिक्त, एक मांग चालित मॉडल की ओर एक समीक्षा की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रशिक्षित कार्यबल विभिन्न क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण की असमान वितरण के कारण बेरोजगार न रह जाए।

इसके अलावा, निगरानी दौरों के आधार पर, यह पाया गया है कि 46% फ्रेंचाइजी केंद्र पीएमकेवीवाई (2016-2020) के दिशानिर्देशों और मान्यता के दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, हालांकि इन केन्द्रों की योजनाबद्ध निरीक्षण के दौरान सिफारिश की गई थी; इससे प्रशिक्षण की गुणवत्ता ख़राब हो सकती है; जिससे योजना के मुख्य उद्देश्य पर प्रभाव पर सकता है। इसके अलावा, पीएमकेवीवाई दिशानिर्देशों (2016-2020) के अध्याय 1 के खंड 1.5 के अनुसार, पीएमकेवीवाई के तहत प्रथम स्तर की फ्रेंचाइजिंग की अनुमति है, लेकिन फ्रेंचाइजिंग व्यवस्था को हतोत्साहित किया जाएगा और इसे कम प्राथमिकता दी जाएगी तथा धीरे-धीरे फ्रेंचाइजी व्यवस्था समाप्त करने की योजना बनाई गई है।

उपरोक्त के मद्देनजर, एक नीति निर्णय लिया गया कि पीएमकेवीवाई (2016-2020) के सीएससीएम घटक के अल्पावधि प्रशिक्षण के तहत निम्नलिखित वर्गों के केंद्रों पर लक्ष्य आवंटन अस्थायी रूप से रोका गया है तथा आगे की समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर इसको संशोधित किया जा सकता है। लक्ष्य आवंटन पर इस अस्थायी रोक का उदेश्य वर्तमान में व्यवस्था में उपस्थित प्रमुख मुद्दों / चिंताओं / रिसावों को समझना और उनका विश्लेषण करना है, जिसके परिणामस्वरूप मान्यताप्राप्त और सम्बंधित केंद्रों में गैर-अनुपालन हो रहा है। हालांकि, नीचे दिए गए राज्यों और क्षेत्रों के अलावा लक्ष्य आवंटन जारी रहेगा:

- सभी फ्रैनचाईस केंद्र
- निम्नलिखित राज्यों में उपस्थित केंद्र:
  - उत्तर प्रदेश, हरयाणा और राजस्थान
- केंद्र जो निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिए इच्छुक हैं:
  - वस्त्र/परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी-आईटीईएस, बीएफएसआई और दूरसंचार

राज्यों/क्षेत्रों आदि जिनके लक्ष्य आवंटन पर रोक है, उन पर अंतिम निर्णय जून 2017 के अंत से पहले लिया जाना अपेक्षित है।